COURT FEE कोर्ट फी Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल महोदय जिला ग्वालियर (म.प्र.)

निग – 1475 – I-16

1. अवध किशोरी यादव तनय रामगोपाल यादव
2. घनश्याम यादव तनय शालिगराम यादव

निगराकारगण

बनाम

1. तहसीलदार खरगापुर
2. राजेश तनय आशाराम पाठक

प्रति निगराकारगण

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खरगापुर के प्रकरण क्रमांक– 232 अ/6–अ/2013–14 आदेश दिनांक 22.09.2014 से व्यथित होकर समक्ष श्रीमान् के प्रस्तुत है।

महोदय,

निगराकार की ओर से विनय निम्न प्रकार है :–

1. यह कि भूमि स्थित ग्राम शिवनगर फुटेर चक्र–2 खसरा नं. 21/1/5 कुल रकवा 16.106 हेक्टेयर पर कूट रचना करके प्रति निगराकार कमांक–2 के द्वारा राजस्व अभिलेखों में खुर्द–बुर्द करके अपना नाम सीधा भू स्वामि के रूप में खसरा बंटांकन को तोड मडोर कर अपना नाम दर्ज करवा लिया, जिसे सुधार के लिये अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निगरारकारगणों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे बगैर जांच एवं मुख्य परिस्थितियों को अनदेखा करते हुये आवेदन निरस्त कर दिया, जो स्थिर योग्य नहीं है।

निगरानी के आधार

1. यह कि उक्त भूमि से संबंधित खसरा पंचशाला का पेज फाड़कर हस्तलिखित नंबर दिया गया, जबकि उक्त खसरा में उक्त पेज की इंट्री एकदम गलत है।
2. यह कि दायरा पंजी में प्रकरण दर्ज के स्थान पर हेर–फेर की गई है एवं कूटरचित हस्तलेख में बगैर किसी प्रकरण के प्रकरण दर्ज किया गया।
3. यह कि खसरा पंचशाला में सम्पूर्ण रकवा गौचर है, जिसमें 21/1/2 पर अलग बंटांकन डाला गया, जो सम्पूर्ण ग्राम में बंटांकन मौजूद नहीं है, उस पर राजेश तनय आशाराम लिखा

--2--

R. 1475-I/16 (नामान्तरण)

27.9.16.

आवेदक की [illegible] उपस्थित
अधि. श्री [illegible] के
आवेदक के प्रकरण की
निराकरण करने की मांग
की गई है। अतः
प्रकरण आदेशार्थ अगामी दि०
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
जाता है। पश्चात [illegible] होगा।

[signature]
[illegible]

[initials]